भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1693
दिनांक 02.07.2019/11 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

पत्रकारों पर हमला

†1693. एडवोकेट अदूर प्रकाशः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पत्रकारों पर हमले की बढ़ती घटनाओं पर ध्यान दिया है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा मीडिया कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): केंद्र सरकार पत्रकारों सहित देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा एवं संरक्षा को सबसे अधिक महत्व देती है। नागरिकों की सुरक्षा के लिए मौजूदा कानून पत्रकारों को भी कवर करता है। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' राज्य के विषय हैं और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने विधि प्रवर्तन एजेंसियों के जरिये अपराधों की रोकथाम करने, पता लगाने, जांच करने और अभियोजन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कनून व्यवस्था बनाये रखने के लिए और जो कोई व्यक्ति कानून को अपने हाथों में लेता है, उसे कानून के अनुसार तत्काल दंडित करना सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर परामर्शी पत्र जारी किये हैं। विशेष रूप से पत्रकारों की सुरक्षा के संबंध में दिनांक 20 अक्टूबर, 2017 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक परामर्शी पत्र जारी किया गया था, जिसमें उनसे मीडिया के लोगों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून को दृढ़ता से लागू करने का अनुरोध किया गया था। यह परामर्शी पत्र मंत्रालय की वेबसाइट: www.mha.gov.in पर उपलब्ध है।

*****